

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रिजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में चितई से भूल्यूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 2.0925 है० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.18 है० भूमि ग्राम चक्करगांव की सिविल बेनाप खाता सं० 12 श्रेणी 9 (3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 503 तक राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम चक्करगांव की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा